वित्त आयोग के अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पाँच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड और पंजाब) में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs)/पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान वितरित किया है।

मुख्य बिंदु

- **अनुदान के बारे में:**
  - ये अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में प्रदान किये जाते हैं और इन्हें **पंचायती राज मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग)** की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी किया जाता है।
  - पहली किस्त के रूप में मध्य प्रदेश को **651.7794 करोड़ रुपए** का असंबद्ध अनुदान आवंटित किया गया है।
- **अनुदान का उपयोग:**
  - **अप्रतिबंधित अनुदान:** ये अनुदान स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (RLB/PRI) को **संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची** में **सूचीबद्ध 29 विषयों** के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाते हैं, सिवाय वेतन और स्थापना लागत के।
  - **बंधे हुए अनुदान:** इन निधियों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिये अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये:
    - स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति बनाए रखना, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, मानव मल और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
    - पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

पंचायती राज संस्थान

- **73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992** द्वारा **पंचायती राज संस्थानों** को **संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), **चुनाव**, **अनुसूचित जाति**, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण व निधि के अंतरण एवं **PRI के कार्य और पदाधिकारी** की एक प्रणाली स्थापित की गई।
  - पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं: **ग्राम सभा** (गाँव अथवा छोटे गाँवों का समूह), **पंचायत समितियाँ** (ब्लॉक परिषद) और **ज़िला परिषद** (ज़िला स्तर पर)।
  - भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को स्व-सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का **अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति प्रदान** करता है।
  - पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिये भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 280(3)(bb) और अनुच्छेद 243-I** निम्नलिखित प्रावधान करता है:
- **अनुच्छेद 243H** राज्य विधानमंडलों को **करों, शुल्कों, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने के लिये पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान** करता है। यह उन्हें शर्तों व सीमाओं के अधीन, इन करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायतों को सौंपने की भी अनुमति भी प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 280(3) (bb) के अनुसार यह **केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य** है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिये राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिये राज्य के वित्त आयोग **द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करे।**
  - राज्य और पंचायतों के बीच करों, कर्त्तव्यों, टोल तथा शुल्क के वितरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत, जिसमें उनके संबंधित हिस्सेदारी व पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच आवंटन शामिल हैं।
  - पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय।
  - राज्यपाल द्वारा संदर्भित कोई अन्य वित्त संबंधी मामले।
  - अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है। इन आयोगों का कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्यपाल **को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सलाह देना है:**
- **पंचायती राज मंत्रालय** पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है। इसकी स्थापना मई 2004 में की गई थी।

वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (**एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित**)- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- **कार्यकाल:** जैसा कि **राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है**
- **पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं**

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

- **पहला वित्त आयोग** (1952–57)
  - अध्यक्ष- **के. सी. नियोगी**
- **दूसरा वित्त आयोग** (1957–62)
  - अध्यक्ष- **के. संथानम**
- **पंद्रहवाँ वित्त आयोग** (2021–2026)
  - अध्यक्ष- **एन.के. सिंह**
- **राज्य वित्त आयोग**
  - **राज्यपाल** द्वारा प्रत्येक **5वें वर्ष** में गठित (**अनुच्छेद 243**)
  - **पंचायतों और नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच **शुद्ध कर आय का वितरण**
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु **अनुदान का निर्धारण**
- **राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले**
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर **पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश** करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/finance-commission-grants